प्रेस नोट दिनांक 19.06.2026

थाना भमोरा जनपद बरेली

थाना भमोरा #bareillypolice द्वारा 25,000 रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त सुरकेश शर्मा सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, संगठित गिरोह का पर्दाफाश।

थाना भमोरा पुलिस द्वारा वांछित चल रहे 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त सुरकेश शर्मा सहित उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर अवैध वसूली, धमकी एवं गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनांक 18.06.2026 को वादी अंकुर मिश्रा उर्फ प्रभात मिश्रा पुत्र श्री निर्भय मिश्रा नि0 ग्राम चांडपुर थाना भमोरा जिला बरेली द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आम जनता को भय दिखाकर अवैध वसूली की जा रही है तथा वादी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उससे 03 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। रंगदारी न देने पर गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर मु0अ0सं0 277/26 धारा 61(2)/111(3)/308(5)/308(6)/248/352/351(3) बीएनएस बनाम सुरकेश शर्मा आदि 11 नामजद पंजीकृत किया गया।

सूचना एवं कार्यवाहीः-

आज दिनांक 19.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण सुरकेश शर्मा, ओमवीर एवं कृतिका शर्मा को गिरफ्तार किया गया।

ज्ञातव्य है कि अभियुक्त सुरकेश शर्मा मु0अ0सं0 287/2023 धारा 376डी, 147, 452, 354, 354ख, 504, 506 भादवि व 5एल/6 पाक्सो एक्ट तथा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में लगभग 03 वर्षों से वांछित अपराधी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 18.07.2024 को ₹15,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे दिनांक 07.06.2026 को बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा एवं कुर्की के आदेश भी पारित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद अभियुक्त लगातार फरार रहा। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत दिनांक 11.06.2026 को उसकी हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है। अभियुक्त सुरकेश शर्मा पूर्व में हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों में जेल जा चुका है तथा विभागीय कार्यवाही के उपरांत पुलिस विभाग से बर्खास्त भी किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.सुरकेश शर्मा पुत्र देवेन्द्र दत्त नि0 ग्राम लंगूरा थाना भमोरा जनपद बरेली

2.कृतिका शर्मा पत्नी सुरकेश शर्मा नि0 ग्राम लंगूरा थाना भमोरा जनपद बरेली

3.ओमवीर पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम लंगूरा थाना भमोरा जनपद बरेली

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 277/26 धारा 61(2)/111(3)/308(5)/308(6)/248/352/351(3) बीएनएस थाना भमोरा ,बरेली

अभियुक्त सुरकेश शर्मा का आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 277/26 धारा 61(2)/111(3)/308(5)/308(6)/248/352/351(3) बीएनएस थाना भमोरा, बरेली
2. मु0अ0सं0 118/20 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना भमोरा, बरेली
3. मु0अ0सं0 455/21 धारा 323/504/307/506 भा0द0वि0 थाना भमोरा, बरेली
4. मु0अ0सं0 485/21 धारा 147/506 भा0द0वि0 थाना भमोरा, बरेली
5. मु0अ0सं0 92/17 धारा 323/354/504/506 भा0द0वि0 सुभाषनगर, बरेली
6. मु0अ0सं0 214/16 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर, बरेली
7. मु0अ0सं0 215/16 धारा 147/148/149/336 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना सुभाषनगर, बरेली
8. मु0अ0सं0 252/16 धारा 323/504/506/354 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर, बरेली
9. मु0अ0सं0 297/22 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर, बरेली
10. मु0अ0सं0 722/22 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर, बरेली
11. मु0अ0सं0 287/23 धारा 147/452/376डी/354/354ख/504/506 भादवि, 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(1)द,ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना भमोरा, बरेली
12. मु0अ0सं0 470/21 धारा 195/120बी भा0द0वि0 थाना भमोरा, बरेली
13. मु0अ0सं0 886/18 धारा 406/452/504/506 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर, बरेली
14. मु0अ0सं0 394/20 धारा 376/323/506 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर, बरेली
15. मु0अ0सं0 626/11 धारा 393/120बी भा0द0वि0 थाना इज्जतनगर, बरेली
16. मु0अ0सं0 288/24 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना भमोरा,बरेली
17. मु0अ0सं0 45/20 धारा 406 भा0द0वि0 थाना सुशांत गोलफ सिटी, लखनऊ
18. मु0अ0सं0 114/21 धारा 386 भा0द0वि0 थाना अलीगंज, बरेली

अभियुक्त ओमवीर का आपराधिक इतिहासः–

1 मु0अ0सं0 277/26 धारा 61(2)/111(3)/308(5)/308(6)/248/352/351(3) बीएनएस

2.मु0अ0सं0 215/16 धारा 147/148/149/336 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना सुभाषनगर

अभियुक्त सुरकेश शर्मा का विवरणः-

अभियुक्त सुरकेश शर्मा पुत्र देवेन्द्र दत्त शर्मा निवासी ग्राम लंगूरा थाना भमोरा जनपद बरेली का आपराधिक इतिहास वर्ष 2011 से, अर्थात लगभग 15 वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होना पाया गया है, जिसमें जनपद बरेली तथा जनपद से बाहर के विभिन्न थानों में अब तक कुल 18 मुकदमे पंजीकृत हैं। गांव में विपक्षियों तथा आसपास के गांवों के व्यक्तियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध गैंग बनाकर महिलाओं के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराना तथा अन्य माध्यमों से धन की वसूली करना, दबाव बनाकर कार्य कराना एवं धमकी देकर अवैध वसूली करना इसके अपराध के तरीके एवं माध्यम रहे हैं। वर्ष 2021 में प्रधानी चुनाव में आरक्षित सीट पर वीरेन्द्र की जीत हुई थी। आरोप है कि अभि0 सुरकेश शर्मा द्वारा वीरेन्द्र पर मनचाहे कार्य कराने एवं अवैध वसूली हेतु दबाव बनाया गया। वीरेन्द्र द्वारा उक्त प्रभाव से अलग होने पर अभियुक्त ने रंजिश रखते हुए वीरेन्द्र तथा उसके साथ उठने-बैठने वाले अथवा सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए। इसी क्रम में सुरकेश शर्मा द्वारा पड़ोसी गांव चांडपुर निवासी अंकुर

उर्फ प्रभात मिश्रा पुत्र निर्भय मिश्रा, जो वीरेन्द्र के संपर्क में था, तथा अवधेश अधिवक्ता, जो सुरकेश के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों की पैरवी करता था, को लेकर गांव की महिला से अंकुर मिश्रा उर्फ प्रभात मिश्रा, अवधेश, वीरेन्द्र एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना भमोरा पर मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप है कि सुरकेश शर्मा द्वारा अंकुर को बचाने एवं समझौता कराने के नाम पर ₹03 लाख की मांग की गई। इसी प्रकार पूर्व में भी सुरकेश शर्मा द्वारा अपने गिरोह की महिलाओं के माध्यम से 10 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए जाने तथा इसके बदले उन्हें धनराशि दिए जाने के आरोप हैं। अभियुक्त सुरकेश शर्मा के विरुद्ध थाना भमोरा पर मु0अ0सं0 287/2023 धारा 376डी, 147, 452, 354, 354ख, 504, 506 भादवि, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा, कुर्की एवं मफरूर अपराधी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा ₹25,000 का पुरस्कार घोषित है। इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा न्यायालय में समर्पण नहीं किया गया तथा वह पुलिस से भी बचता रहा। आरोप है कि अभियुक्त अपने विरोधियों पर दबाव बनाने तथा अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमों में वादी एवं गवाहों को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपने गिरोह के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराता रहा तथा जो भी व्यक्ति विपक्षियों के साथ सामाजिक, न्यायिक अथवा अन्य प्रकार का सहयोग करता था, उसके विरुद्ध भी अपने गिरोह की महिलाओं के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराकर दबाव बनाने एवं समझौते के लिए धमकी देने का कार्य करता रहा।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार थाना भमोरा जनपद बरेली
2. उ0नि0 हीरेन्द्र सिंह थाना भमोरा जनपद बरेली
3. म0उ0नि0 पूजा गोस्वामी थाना भमोरा जनपद बरेली
4. हे0कां0 कपिल कुमार थाना भमोरा जनपद बरेली
5. हे0का0 बृजेश कुमार थाना भमोरा जनपद बरेली
6. का0 मुस्तफा थाना भमोरा जनपद बरेली